



## उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

### U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer  
Electricity Transmission Division Ghazipur  
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur  
Pin 233001

Mobile No. 9415311047  
E-mail - ceetd2var@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर  
220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तलवल  
हाइड्रिल कालोनी गाजीपुर  
पिन 233001

पत्रांक. 1467

वि०प्र०ख (ना)/

दिनांक. 22-06-2022

विषय:- 400के०वी० ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/44753/2020) में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

- ✓ प्रभागीय वनाधिकारी सन्दर्भ-1. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० प्रभाग लखनऊ,  
ओबरा वनप्रभाग पत्रांक 3275/11- FP/UP/TRANS/44753/2020 दिनांक 20.05.2022  
ओबरा, सोनभद्र 2. आपके कार्यालय पत्रांक 3020/ ओबरा/15 मू०ह० दिनांक 16.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के०वी० ओबरा लीलो विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/44753/2020) में कुछ आपत्तियां/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है-


	कमियां	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में लीज समाप्त होने की तिथि गलत अंकित की गयी है। अतः सही तिथि अंकित कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में लीज समाप्त होने की तिथि को सही अंकित करके संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र (05 प्रतियों में) इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किया जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक 01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्त एजेंसी द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात भी वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है अतः उल्लंघन के सम्बन्ध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के कम में अवगत कराना है कि 400 के०वी० ओबरा लीलो डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु ओबरा वनप्रभाग में 19.968 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/04/1692/98/एफ०सी० दि० 08.03.1999 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तान्तरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है, एवं इसके क्रम में उप साचिव उ०प्र० शासन के आदेश सं० जी०आई०/322/14.02.1999/700(2)/97 दिनांक 1 अक्टूबर 1999 द्वारा उक्त विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 19.968 हे० वन भूमि 20 वर्षों हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को लीज पर हस्तान्तरित किया गया था। जिसकी लीज अवधि दि० 01.10.2019 को समाप्त हो चुका है। जिसके पश्चात पुनः लीज नवीनीकरण कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव आपके कार्यालय में जमा करा दिया गया था तथा वर्ष 2019 से अब तक इस कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि का आपके लीज रेंट मांग पत्र के अनुसार नये सर्किल दर से लीज रेंट भी ससमय जमा किया जाता रहा है। चूंकि भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/04/1692/98/एफ०सी०

		दि० 08.03.1999 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है एवं वर्ष 2019 से अब तक नये सर्किल दर से लीज रेंट भी ससमय जमा किया जाता रहा है। जिस कारण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात भी उक्त वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये।
3	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक -343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में प्रयाक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11-सी दिनांक-14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (05 प्रतियो में) इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक -1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	
5	प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	बिन्दु सख्या 4,5,6,7,8,9 जो कि क्षतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित है के क्रम अवगत कराना है कि उक्त लाइन में प्रभावित वन भूमि 19.968 हे० के लीज के समय इस कार्यालय द्वारा 19.968 हे० गैर वन भूमि तथा उक्त गैर वन भूमि पर वनीकरण हेतु रू० 8,55,968.00 मात्र प्रभागीय वनाधिकारी कैंगूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर को उपलब्ध करा दी गयी थी (पत्र संलग्न)। वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जाना है, जिस कारण क्षतिपूरक वनीकरण की देयता नहीं बनती है।
6	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (ओशधीय) पौधे के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced digital Map प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	
8	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	
9	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	

*(Handwritten signature)*

10	प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सकरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित दर के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का Additional Information Detail से डिलिट करें।	महोदय स्तर से होना है।
11	प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर का इका सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं किया गया है।	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के इको सेन्सिटिव का गजट (05 प्रतियो में) इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	ऑनलाइन भाग-2 के कर्मांक -5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	महोदय स्तर से होना है।
13	उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधन प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 10, व 12 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना हैं) को दूर कर उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे की लीज नवीनीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

  
(एस0के0सिंह)  
अधिशारी अभियन्ता

पत्रांक. 1467

वि0प्रे0खं0-(गा)/

दिनांक. 22.06.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
2. मुख्य अभियन्ता, (पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर।

  
(एस0के0सिंह)  
अधिशारी अभियन्ता